

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लाट न0-1, सेक्टर- नालेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी
जनपद-गौतमबुद्ध नगर

कार्यालय आदेश

पत्रांक: मार्केटिंग/2022/69368

दिनांक 19.10.2022

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में मार्केटिंग विभाग में निम्नलिखित ऐडवरटाइजिंग एजेन्सियों को ऐडवरटाइजिंग/प्रिन्टिंग/प्रदर्शनी/होर्डिंग्स/ जनसम्पर्क सम्बन्धित कार्यों हेतु दिनांक 01.11.2022 से दिनांक 31.10.2024 तक (02 वर्ष हेतु) इम्पैनलमेन्ट किया गया है-

Category-A

Sr. No	Name of Advertising Agencies
1.	M/s Akar Advertising & Marketing Pvt. Ltd.
2.	M/s Airads Ltd.
3.	M/s Degree 360 Solutions Pvt. Ltd.
4.	M/s Expression 360 Services India Pvt. Ltd.
5.	M/s Invicta Media Pvt. Ltd.
6.	M/s Isha Advertising Pvt. Ltd.
7.	M/s Lalit Advertising
8.	M/s Paromita Advertising Agency Pvt. Ltd.
9.	M/s Pamm Advertising & Marketing
10.	M/s Pehachan Advertising & Marketing Pvt. Ltd.
11.	M/s Shreshta Communications
12.	M/s Sharad Advertising Pvt. Ltd
13.	M/s Sanket Communications Pvt. Ltd.
14.	M/s Venture Advertising Pvt. Ltd.
15.	M/s Vermillion Communications Pvt. Ltd.

Category-B

Sr. No	Name of Advertising Agencies
1.	M/s Deepali Designs & Exhibits Pvt. Ltd.
2.	M/s Expro Events & Exhibits
3.	M/s Graphisads Pvt. Ltd.
4.	M/s Laqshya Media Pvt. Ltd.

नोट-उपरोक्त इम्पैनल्ड एजेन्सियों को प्राधिकरण के कार्य निष्पादन के समय निम्न निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है -

- सभी प्रकार के विज्ञापनों का प्रारूप विज्ञापित करने से पूर्व मार्केटिंग विभाग से अनुमोदित/सत्यापित कराना अनिवार्य है ।
- समय-समय पर विज्ञापन की गुणवत्ता हेतु जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

h

क्रमश:- पेज संख्या-2 पर ।

यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि उपरोक्त Empanelled Agencies द्वारा कार्य सुचारु एवं गुणात्मक रूप से ठीक नहीं किया जा रहा है तो उक्त एजेन्सी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा एजेन्सी के Empanelment की पुनः समीक्षा की जायेगी। उक्त पैनल दिनांक 01.11.2022 से 31.10.2024 तक प्रभावी रहेगा। उक्त समयावधि के पश्चात् या उसके मध्य में आवश्यकतानुसार पुनः Empanelment की प्रक्रिया/समीक्षा आरम्भ की जा सकती है, अन्यथा यह कार्य व्यवस्था एवं Empanelment, उपरोक्तानुसार लागू रहेगा।



(सलिल यादव)

उप महाप्रबन्धक (मार्केटिंग)

प्रतिलिपि-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (वी) महोदय के अवलोकनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (वित्त/परियोजना/नियोजन)।
4. प्रबन्धक (सिस्टम)
5. गार्ड फाईल।



उप महाप्रबन्धक (मार्केटिंग)